बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा "जल–जीवन–हरियाली" अभियान का प्रारम्भ किया गया है। उक्त अभियान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर सतही योजनाएँ ली जा रही है। इन योजनाओं की सतत् मोनेटरिंग आवश्यक है। उक्त मोनेटरिंग हेतु निम्न प्रकार जिला स्तरीय समिति गठित की जाती है:–

क.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
ख.	उप विकास आयुक्त	–	उपाध्यक्ष
ग.	कार्यपालक अभियंता,मनरेगा	–	सदस्य
घ.	जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
ड..	वन प्रमंडल पदाधिकारी	–	सदस्य
च.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	–	सदस्य
छ.	कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग	–	सदस्य सचिव–सह–संयोजक

2. उक्त समिति "जल–जीवन–हरियाली" अभियान के तहत ली जाने वाली योजनाओं एवं चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से करेगी एवं कार्यान्वयन की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेगी। समिति यदि आवश्यक समझें तो लघु जल संसाधन विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

3. समिति "जल–जीवन–हरियाली" अभियान के तहत ली जाने वाली नई योजनाओं को चिन्हित कर विभाग को भेजेगी ताकि विभाग निविदा आमंत्रित कर सके। ऐसा करते समय समिति ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 द्वारा दिये गए मार्गदर्शिका सिद्धान्तों का अनुपालन करेगी।

4. उक्त समिति जिले के अन्तर्गत Water Bodies में हो रहे अतिक्रमण तथा उसको हटाये जाने की प्रगति की भी समीक्षा करेगी। इस हेतु जिलाधिकारी संबंधित अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा जिले के किसी भी अन्य पदाधिकारी को आमंत्रित कर सकते हैं।

5. उक्त समिति की अनुशंसा के बाद ही संवेदकों को भुगतान हेतु आवंटन की मांग कार्यपालक अभियंता द्वारा की जायगी। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का Running Bill एवं अंतिम बिल हेतु आवंटन उक्त समिति की अनुशंसा के पश्चात ही कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को भेजा जायगा।

6. इसी समिति की बैठक में नलकूपों के संचालन की प्रगति की समीक्षा भी की जाय। नलकूपों की समीक्षा विभागीय संकल्प 992 दिनांक 04.02.2019 की कंडिका 7 में गठित कमिटि द्वारा की जानी है जिसके अध्यक्ष उप विकास आयुक्त होते हैं। **अतः नलकूपों की समीक्षा भी इस नवगठित समिति में जिला पदाधिकारी के वरीय मार्गदर्शन में हो** ताकि लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को बार–बार अलग–अलग बैठकें बुलानें की आवश्यकता न पड़े।

राज्यपाल के आदेश से

(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: प्र०/ल०ज०स०/"जल–जीवन–हरियाली" अभियान–63/19 7344 /पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपि:– सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः प्र०/ल०ज०स०/"जल–जीवन–हरियाली" अभियान–63/19 7344 /पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपिः– अपर सचिव (श्री मीणा एवं श्री प्रकाश)/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः प्र०/ल०ज०स०/"जल–जीवन–हरियाली" अभियान–63/19 7344 /पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः प्र०/ल०ज०स०/"जल–जीवन–हरियाली" अभियान–63/19 7344 /पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव